LOK SABHA

Tuesday, December 13, 1977/Agrahayana 22, 1899 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मकरोनिया और केरली के बीच नई रेल लाइन

*386. **श्री नर्मदा प्रसाद राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश में मकरोनिया और केरली रेलवे स्टेशनों को एक नई रेल लाइन द्वारा जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है जबकि व्यापार की दृष्टि से यह लाइन बहुत अनिवार्य है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) मध्य प्रदेश में मक ोनिया और केरली रेलवे स्टेशनों को एक नयी रेल लाइन द्वारा जोड़ने का कोई भी प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं

(ग) धन की अत्यधिक कमी है और जो धन उपलब्ध है, वह पहले से

शुरु की गयी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है।

श्री नर्मदा प्रसाद राय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमने जो मकरोनिया और केरली लाइनों को एक नई रेलवे लाइन से जोड़ने की मांगें रखी हैं वह इस दृष्टि से रखी है कि इस इलाके में पांच बहुत बड़े नगर पड़ते हैं । इसलिए व्यावसायिक दृष्टि से भी यह बहुत आवश्यक है कि इस रेलवे लाइन को जोड़ा जाए । इसके साथ ही थाना में मिलिट्री का बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है इसलिए भी यह आवश्यक है कि इस रेल लाइन को जोड़ा जाए । थाना आने जाने के लिये मिलिट्री की बहुत सी गाड़ियां चलती है जिसके कारण वहां की जनता को यातायात में बहुत दिक्कत होती है, बहुत रुकावट होती है और उनके जान-माल को भी क्षति पहुंचती है। इसके साथ ही वहां परमान में एक मेला लगता है और यह एक प्रसिद्ध मेला है जो कि एक महीने तक चलता है । इस दृष्टि से भी आवश्यक है कि इस रेल लाइन को जोड़ा जाए।

प्रो० मधु दण्डवते : जो माननीय सदस्य ने जानकारी दी है उसके सम्बन्ध में मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे पास आज तक 28 नई लाइने ऐसी हैं जिनका काम पैंडिंग चल रहा है क्योंकि धनराशि की कमी है इसलिए इस रेलवे लाइन की आवश्यकता को समझते हुए भी हम माननीय सदस्य के सुझाव को नहीं मान रहे है। साधनों की अत्यधिक कमी के कारण जो लाइनें

हमारे पास है उन पर ही काम नहीं हो पा रहा है। अभी 13 ऐसी रेल लाइने हैं जिन पर कंवर्शन का काम जारी है। लेकिन साधनों की उपलब्धता न होने की वजह से हम लोगों की ऐसी नीति है कि जिन रेल लाइनों पर पहले से काम चल रहा है उन्हीं को पहले प्राथमिकता दें उसके बाद दूसरी रेल लाइनों के बारे में सोचें। इसलिए इस रेल लाइन के बारे में अभी विचार नहीं किया जा सकता है।

श्री नर्मदा प्रसाद राय : तीस वर्ष के पुराने शासन में यह सारा जिला बहुत उपेक्षित रहा है और आज तक इसमें कोई विकास कार्य नहीं हुआ। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस जिले को जोकि उपेक्षित क्षेत्र है और हरिजन सुरक्षित क्षेत्र भी है, प्राथमिकता दें और उसे रेल लाइन से जोड़ा जाए।

प्रो० मधु दण्डवते : मान्यवर, उपेक्षित और पिछड़े हुए इलाकों की तरफ हम जरूर ज्यादा ध्यान देंगे लेकिन ऐसे भी इलाके हैं जहां यातायात बहुत ज्यादा है, इसलिए पहले उनकी तरफ ध्यान देना होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस रेल लाइन के बारे में इंतजार करना होगा और इंतजार करने में भी ताकत हो सकती है।

श्री राघव जी : अध्यक्ष महोदय, रेल यातायात की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां उस पिछड़े हुए प्रदेश में रायसेना जिला बहुत पिछड़ा जिला है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या करेली से गादरवाड़ा होते हुए ओबदुल्लागंज रेलवे लाइन का सर्वेक्षण हुआ था? क्या इस पर रेलवे लाइन डालने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है? इस लाइन का सर्वेक्षण आठ-दस वर्ष पूर्व हुआ था, क्या इसके बारे में मंत्री जी को जानकारी है? इस सम्बन्ध में आपके विभाग ने अब तक क्या किया? यह क्षेत्र धन-धान्य की दृष्टि से एवं वन सम्पदा की दृष्टि से अत्यन्त धनी क्षेत्र है लेकिन यातायात के अभाव के कारण बहुत पिछड़ा हुआ है। क्या मंत्री जी गादरवाड़ा होते हुए करेली से ओबदुल्लागंज तक रेल लाइन डालने पर विचार करेंगे?

प्रो० मधु दण्डवते : मान्यवर, मूल प्रश्न से इस रेल लाइन का कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि इस रेल लाइन का अभी तक सर्वेक्षण नहीं हुआ है।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, हरेक मंत्री यही बात कहता है कि पिछड़े हुए इलाकों के बारे में उनकी विशेष दृष्टि है। यातायात के साधनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है, आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है। यातायात के मामले में मध्यप्रदेश को जो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ माना जाता है, क्या इस प्रदेश में जबलपुर से गोंदिया तक जो रेल लाइन छूटी है, उसको पूरा करने का काम कब शुरु करेंगे? उन्होंने बम्बई से कलकत्ता तक रेल लाइन पर गाड़ी चला दी है लेकिन जिन इलाकों में यातायात की सुविधा नहीं है, उनके बारे में वे क्या कर हैं? मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन पिछड़े हुए इलाकों के लिए उनके पास कौन सी योजना है जिसको वे जल्दी पूरा करने वाले हैं?

प्रो० मधु दण्डवते : मान्यवर, सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि रेलवे के विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे पिछड़ा इलाका नहीं है। असम और

उड़ीसा को अगर देखा जाए तो देश के आजाद होने के बाद से कोई रेल का विकास नहीं हुआ है। चंद इलाके तो ऐसे हैं जहां आजाद होने के बाद से 12 किलोमीटर से ज्यादा रेल गाड़ी नहीं चली। ऐसी हालत में, फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 28 रेलवे लाइनों का जो जिक्र हम कर रहे हैं उनमें ज्यादातर पिछड़े हुए इलाकों में हैं और इन इलाकों के लिए हमारी कोशिश है कि प्लानिंग कमिशन के जरिए जितना एलोकेशन हो उसके आधार पर हम इस काम को करें।

MR. SPEAKER: Question No. 387.

SHRI K. LAKKAPPA: As the procedure should not be wrong, I want to bring to your notice rule 41 (2)(xiv) which says that it shall not ordinarily ask for information on matters of past history. This question is regarding complaints about the last general election. It is also vague. Please see how it has been framed. It asks for "the total number of complaints (Statewise) received". On what subject? Nothing has been said in the question. So it is not precise. Therefore, it may be held over and reconsidered.

MR. SPEAKER: There is no point of order. It is in accordance with the rules.

Complaints Received during Lok Sabha Elections, 1977

*387. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to lay a statement showing:

(a) the total number of complaints (Statewise) received in the last General Elections of Lok Sabha held in March, 1977;

(b) what were the major complaints made during that period and what action has been taken by the Government thereon;

(c) the details of the complaints received by the Election Commission or the Government for unnecessary interference of the Government for misusing the Government machinery and its funds, pressurising the Government Officers etc. during the elections; and

(d) what action has been taken on it?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) to (d). The required information is being collected and will be laid on the Table of the House.

श्री कंवर लाल गुप्त : मंत्री महोदय को पता है कि जब जनरल इलेक्शंज हुए थे तब काफी कम्प्लेंट्स आई थीं और उसी से सम्बन्ध में इलैक्शन ला को कुछ ही दिन पहले, इमरजेंसी के पहले और इमरजैंसी के दिनों में बदला गया था और उसमें करप्ट प्रेक्टिसिस की परिभाषा भी बदली गई थी। उसमें यह भी कहा गया था कि प्रधान मंत्री और स्पीकर के लिए अलग ट्रिब्यूनल होगा और इलैक्शन पैटीटशंज के बारे में ट्रिब्यूनल फैसला करेगा। मंत्री महोदय क्या बतलाएगें कि जो आप संशोधन ला रहे हैं आपका क्या ख्याल है कि जो कुछ दिन पहले संशोधन किया गया था उसको भी आप इसमें शामिल करेंगे और जो करप्ट प्रेक्टिस की परिभाषा बदली गई थी उस पर आप पुनर्विचार करेंगे ? साथ ही प्रधान मंत्री और स्पीकर के बारे में जो व्यवस्था की गई थी उस पर भी आप पुनर्विचार कर रहे हैं ?

MR. SPEAKER: How does it arise out of this question?

SHRI KANWAR LAL GUPTA: There were certain complaints made during the elections regarding corrupt practices, and the definition of corrupt practice has been changed. That is why I want to know his views about